

- : आदेश :-


अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी राधादेवी के हक बंट कब्जा काशत में मौजा ऐवाद का खेत खसरा नम्बर 299 रकबा 2.4929 हैक्टेयर में से रकबा 0.8337 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के सह हक बंट कब्जा काशत में मौजा ऐवाद के खेत खसरा नम्बर 299/1 रकबा 0.8337 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओ.म.प्र.काश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक ~~28.8.21~~ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ.म.प्र.काश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल